

www.ashadeepgroup.com

RAJ/P/2022/2207

www.rera.rajasthan.gov.in



जगतपुरा (जयपुर) के प्रमुख स्थल पर आशादीप ग्रुप की अफोर्डेबल परियोजना



(केन्द्रीय विहार-II से सटी हुई व अक्षय पात्र मन्दिर के बहुत करीब)
मुख्यमंत्री जन आवास योजना

निम्न आय वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए
(प्रावधान 3A के तहत)



आवेदन की अन्तिम तिथि 30 अक्टूबर 2017



प्रोजेक्ट स्थल

- 100 फिट सेक्टर रोड पर
- सीतापुरा अपैरल पार्क के पास
- कई शैक्षणिक संस्थान एवं अस्पताल के नजदीक

खुशियां होंगी अब और भी खास, पाएं कम कीमत पर अपना आवास.

राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 3A के तहत "रूद्राक्ष- II" आशादीप ग्रुप की एक नवीन व उत्तम, अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजना है।

योजना के आकर्षण

- ❖ खुला वातावरण
- ❖ लिफ्ट की सुविधा
- ❖ समस्त आधारभूत सुविधाओं युक्त आवासीय योजना
- ❖ कम्पाउण्ड वाल मय मुख्य द्वार

लोन एवं सब्सिडी

- ❖ 90% तक आसान ऋण
- ❖ भारत सरकार द्वारा पात्र व्यक्तियों को बैंक से दिये गये ऋण पर CLSS के तहत 6.5% की ब्याज की छूट प्राप्त हो सकेगी। जो कि बैंक द्वारा आवेदक के खाते में जमा की जावेगी।
- ❖ ऋण के लिए बैंक की शर्तें लागू होंगी।

सभी प्रमुख बैंकों से ऋण उपलब्ध

पात्रता और शर्तें

1. योजना का विवरण:

- I. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 3A के तहत निम्न आय वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिए फ्लैट्स के आवंटन हेतु "रूद्राक्ष-II" नामक आवासीय परियोजना।
- II. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत निजी विकासकर्ता रिनॉयसेन्स बिल्डहोम प्रा. लि. द्वारा निम्न आय वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के फ्लैट्स ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 854, 855, 864, 865, 866 लगायत 872, 874, 875, 853/1, 856/1, 867/1 एवं 873/1 कुल किता 16 कुल क्षेत्रफल 5.00 हैक्टेयर का आवासीय ग्रुप हाउसिंग प्रयोजनार्थ जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने भूमि का एकल पट्टा-विलेख दिनांक 28.02.2007 क्षेत्रफल 57680.77 वर्गगज का जारी किया। इसके पश्चात् जयपुरा की बीपीसी की 58वीं बैठक दिनांक 29.03.2007 में 57680.77 वर्गगज भूमि का उप विभाजन कर तीन स्वतंत्र ग्रुप हाउसिंग परियोजना भूखण्डों के मानचित्र अनुमोदन किये गये उनमें से एक ग्रुप हाउसिंग परियोजना के भूखण्ड "आशादीप ग्रीन विस्टा" 15,633.92 वर्ग गज पर "रूद्राक्ष-II" नामक आवासीय परियोजना विकसित किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें निम्न साइज के फ्लैट्स विकसित किये जावेंगे:-

फ्लैट का प्रकार	सुपर बिल्टअप एरिया	कॉरपेट एरिया मुजआयो-15 के अनुसार	कॉरपेट एरिया रेरा के अनुसार	फ्लैट की राशि ₹ में	पंजीकरण राशि ₹ में
निम्न आय वर्ग	578 वर्ग फीट	426.20 वर्ग फीट	444.65 वर्ग फीट	12,95,000/-	51,000/-
आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग	445 वर्ग फीट	320.43 वर्ग फीट	331.52 वर्ग फीट	9,95,000/-	31,000/-

2. पात्रता:

- I. आवेदक राजस्थान राज्य का निवासी होना चाहिए। आवेदन करते समय आवेदक को राजस्थान के मूल निवासी (Domicile of Rajasthan) होने का प्रमाण पत्र/शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित/राशन कार्ड/फोटो पहचान पत्र/वोटर आई.डी. कार्ड/आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड आदि में से कोई एक संलग्न करना होगा।
- II. राज्य में कार्यरत औद्योगिक श्रमिक, मछुआरे, खनन श्रमिक राजस्थान राज्य का निवासी न होने की दशा में भी आवेदन कर सकते हैं।
- III. निम्न आय वर्ग फ्लैट्स हेतु आवेदक की वित्तीय वर्ष 2016-17 में वार्षिक आय ₹ 3.00 से ₹ 6.00 लाख तक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए के ₹ 3.00 लाख तक होनी चाहिए।
- IV. आवेदक की आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि तक आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- V. आवेदक स्वयं या उसकी पत्नी/पति या किसी आश्रित (अविवाहित बच्चे) के नाम राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र में कोई आवासीय भूखण्ड/मकान (लीज होल्ड/फ्री होल्ड) नहीं होना चाहिए।
- VI. आवेदक का किसी भी एक बैंक में खाता होना चाहिए और आवेदक, आवेदन पत्र में बैंक का विवरण आवश्यक रूप से अंकित करें।
- VII. पात्रता की शर्तें पूरा करने पर पति/पत्नी दोनों अलग-अलग इस शर्त पर फ्लैट के लिए आवेदन कर सकते हैं, कि दोनों के सफल होने पर केवल एक को ही फ्लैट आवंटित किया जाएगा।

3. आवेदक की आय :-

- I. आय संगणना आवेदक की स्वयं एवं सभी आश्रितों की कुल वार्षिक आय के आधार पर की जावेगी।
- II. नौकरी पेशा आवेदक की सकल वार्षिक आय का प्रमाण पत्र संबंधित नियोक्ता से प्रमाणित होना चाहिए। (प्रारूप संख्या 3)
- III. आवेदक के स्व नियोजित (Self Employ) होने की दशा में आय का प्रमाण पत्र तहसीलदार, एसडीओ, अन्य कोई राजपत्रित अधिकारी, या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी से प्रमाणित अथवा स्वयं के द्वारा प्रमाणित (Self Attested) कराकर नोटरी से प्रमाणित होना चाहिए। (प्रारूप संख्या 2)

4. आवेदन कैसे करें:-

- I. आवेदक निर्धारित प्रपत्र को पूर्ण रूप से भर कर अन्तिम तिथि तक आवेदन के साथ निम्न आय वर्ग के लिए ₹ 51,000/- (अक्षरे इक्यावन हजार रुपये) एवं आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिए ₹ 31,000/- (अक्षरे इकत्तीस हजार रुपये) की पंजीकरण राशि (बैंकर्स चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट) के साथ जमा कराना होगा।
- II. आवेदन पत्र में आवेदक अपना नाम (जैसा बैंक खाते में हो), बैंक खाता संख्या (पूर्ण अंको सहित) तथा IFSC Code बैंक का नाम मय शाखा के पूर्ण विवरण सहित उल्लेख करें। इसके अभाव में असफल आवेदक की पंजीकरण राशि उसके खाते में वापिस जमा करने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की नहीं होगी।
- III. बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट के पीछे आवेदक का नाम, आवेदन पत्र संख्या एवं स्वयं का मोबाईल नम्बर आवश्यक रूप में अंकित करें।
- IV. पंजीकरण राशि **Renaissance Buildhome Pvt. Ltd. Rudraksha-II** के पक्ष में बैंकर्स चैक/डी.डी. द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र जमा केन्द्र पर-फॉर्म के साथ जमा करानी होगी।
- V. कम्पनी को समस्त भुगतान **"Renaissance Buildhome Pvt. Ltd. Rudraksha-II"** के पक्ष में जारी डीडी/बैंकर चैक/चैक के माध्यम से किया जा सकेगा और इसका भुगतान, कम्पनी के खाते में उसकी राशि जमा होने के पश्चात, किया हुआ माना जावेगा।
- VI. आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए जो इस योजना के अन्तर्गत प्लैट लेना चाहता है (जिन मामलों में आवेदक अशक्त है, ऐसे मामलों में आवेदक अपने संरक्षक के माध्यम से आवेदन कर सकता/सकती है।) आवेदक को आवेदन पत्र में किसी विवरण को काटने/मिटाने अथवा इस पर दोबारा (ओवर राईटिंग) लिखने की अनुमति नहीं है। ऐसा होने पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को विकासकर्ता द्वारा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- VII. किसी भी सशर्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन पत्रों को आवेदक बिना कोई कारण बताए अस्वीकार कर सकता है।

5. आवंटन की स्थिति में जमा कराए जाने वाले दस्तावेज

- I. शपथ पत्र (निर्धारित प्रपत्र में), निवास का प्रमाण यथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र/फोटो पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड।
- II. आवेदन पत्र में उल्लेखित बैंक खाते की पास बुक/बैंक खाते का पिछले एक वर्ष का विवरण की स्व प्रमाणित प्रति।
- III. वित्तीय वर्ष 2016-17 के आधार पर स्वयं एवं परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र
- IV. जन्म तिथि का प्रमाण पत्र (ड्राइविंग लाईसेंस/पासपोर्ट/सैकेण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र/पैन कार्ड आदि में से कोई भी एक)

6. भुगतान की प्रक्रिया

निम्न आय वर्ग में आवंटन के पश्चात प्लैट की कीमत का भुगतान निर्माण के निम्न चरणों के अनुरूप होगा:

क्र. सं.	निर्माण चरण	भुगतान प्रतिशत में	भुगतान की राशि ₹ में
1	आवंटन के 30 दिवस में (पूर्व राशि ₹ 51,000/- को समायोजित करते हुये)	10%	1,29,500/-
2	मौके पर खुदाई का कार्य शुरू होने के समय	15%	1,94,250/-
3	प्लिन्थ लेवल का कार्य पूर्ण होने पर	10%	1,29,500/-
4	भू तल (ग्राउण्ड फ्लोर) की छत डलने पर	10%	1,29,500/-
5	प्रथम तल की छत डलने पर	10%	1,29,500/-
6	द्वितीय तल की छत डलने पर	10%	1,29,500/-
7	तृतीय तल की छत डलने पर	10%	1,29,500/-
8	चतुर्थ तल की छत डलने पर	10%	1,29,500/-
9	पंचम तल की छत डलने पर	5%	64,750/-
10	फर्श का कार्य शुरू होने पर	5%	64,750/-
11	कब्जा दिये जाने के समय	5%	64,750/-
	कुल:-	100%	12,95,000/-
12	सोसायटी/संस्था के लिए रख-रखाव हेतु प्रतिभूति जमा राशि		28,900/-

आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग में आवंटन के पश्चात प्लैट की कीमत का भुगतान निर्माण के निम्न चरणों के अनुरूप होगा:

क्र. सं.	निर्माण चरण	भुगतान प्रतिशत में	भुगतान की राशि ₹ में
1	आवंटन के 30 दिवस में (पूर्व राशि ₹ 31,000/- को समायोजित करते हुये)	10%	99,500/-
2	मौके पर खुदाई का कार्य शुरू होने के समय	15%	1,49,250/-
3	प्लिन्थ लेवल का कार्य पूर्ण होने पर	10%	99,500/-
4	भू तल (ग्राउण्ड फ्लोर) की छत डलने पर	10%	99,500/-
5	प्रथम तल की छत डलने पर	10%	99,500/-
6	द्वितीय तल की छत डलने पर	10%	99,500/-
7	तृतीय तल की छत डलने पर	10%	99,500/-
8	चतुर्थ तल की छत डलने पर	10%	99,500/-
9	पंचत तल की छत डलने पर	5%	49,750/-
10	फर्श का कार्य शुरू होने पर	5%	49,750/-
11	कब्जा दिये जाने के समय	5%	49,750/-
	कुल:-	100%	9,95,000/-
12	सोसायटी/संस्था के लिए रख-रखाव हेतु प्रतिभूति जमा राशि		22,250/-

नोट:-पूर्व में जमा करायी गई पंजीकरण राशि को प्रथम किश्त के साथ समायोजित करके भुगतान करना है।

7. निम्न कारणों से भरे हुए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे अथवा निरस्त कर दिये जावेंगे—

- I. प्रार्थी के पास स्वयं या पति/पत्नी अथवा अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री के नाम से शहर में मण्डल नगरपालिका, नगर विकास न्यास द्वारा आवंटित कोई भी भूखण्ड एवं आवास किसी वर्ग या श्रेणी का होने पर।
- II. पैरा नं. 2 में वर्णित पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करने पर।
- III. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अंकित तथ्य असत्य/त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आवंटित मकान निरस्त कर दिया जावेगा।
- IV. अव्यस्क व्यक्ति द्वारा या उसके नाम से आवेदन पत्र भरा पाये जाने पर।
- V. आवेदन पत्र अपूर्ण एवं अस्पष्ट भरा हुआ होने की दशा में।
- VI. पंजीकरण राशि का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक के अलावा अन्य प्रकार से आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करने पर।

8. अन्य महत्वपूर्ण शर्तें:—

- I. प्लैट 99 वर्ष की लीज पर आवंटित किए जावेंगे।
- II. आवंटी को विक्रय-विलेख के पंजीयन का खर्च स्वयं वहन करना होगा तथा उसके पश्चात ही प्लैट का भौतिक कब्जा विकासकर्ता द्वारा दिया जावेगा।
- III. सफल आवेदक को निम्न आय वर्ग के लिए सुपर बिल्ट-अप एरिया पर ₹ 50/- प्रति वर्ग फीट की दर से रखरखाव राशि ₹ 28,900/- तथा आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिए सुपर बिल्ट-अप एरिया पर ₹ 50/- प्रति वर्ग फीट की दर से रखरखाव राशि ₹ 22,250/- देनी होंगी, जो कि विकासकर्ता / नगर विकास न्यास / RWA के पास परियोजना के रख-रखाव हेतु जमा रहेगी।
- IV. आवंटी को आवासीय प्लैट से संबंधित सर्वजन उपयोगी क्षेत्रों की मरम्मत/देखभाल/रख-रखाव तथा सामुहिक सुविधाओं जैसे लिफ्ट, जीना, आहाते की दीवार, बगीचे, खुले स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख-रखाव के लिए आवंटियों द्वारा गठित एक पंजीकृत संस्था/सोसायटी का सदस्य होना अनिवार्य होगा।
- V. भविष्य में संस्था/सोसायटी द्वारा नियमित रख-रखाव हेतु मांगी गई राशि आवंटी द्वारा नियमित रूप से जमा करानी होगी।
- VI. आवंटी द्वारा उक्त सोसायटी द्वारा सर्वजन उपयोगी क्षेत्र के रख-रखाव पर आने वाले समस्त खर्चों को सोसायटी के सदस्यों में आपस में बाँटे जाने पर हिस्से में आये मासिक खर्च का भुगतान करना होगा। जिसके लिए आवेदक की किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- VII. किसी भी प्रकार का कर/शुल्क बीसलपुर परियोजना से जलापूर्ति की जलदाय विभाग द्वारा मांगी गयी राशि यदि सरकार को देय होता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी आवंटी की होगी व आवंटी को उस राशि को विकासकर्ता/सरकार को अदा करना होगी।
- VIII. किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के संबंध में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर ही होगा।

IX. आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने पर उसे भारत सरकार से ब्याज में छूट का पुनःभरण नहीं होने के लिये विकासकर्ता जिम्मेदार नहीं होगा।

- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज बैंक के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बैंक को प्रस्तुत किये जावेंगे। जिसके तहत अधिकतम ₹ 6.00 लाख रुपये पर 6.5 प्रतिशत ब्याज की पुनःभरण राशि प्रार्थी के ऋण बैंक खाते में सीधे ही प्राप्त की जा सकेगी।
- ब्याज में छूट के पुनःभरण हेतु बैंक द्वारा भारत सरकार की बैंक को प्रकरण प्रस्तुत किया जावेगा, वहाँ से स्वीकृति मिलने के पश्चात् सम्बन्धित बैंक द्वारा पुनःभरण की राशि आवंटि के लोन/ ऋण खाते में बैंक द्वारा सीधे ही जमा कर दी जावेगी।
- इस प्रकार फ्लैट की कुल कीमत में ब्याज पुनःभरण राशि की छूट प्रार्थी को सीधे ही प्रधानमंत्री जनआवास योजना के तहत प्राप्त होगी। यह राशि बैंक व भारत सरकार के निर्णय के आधार पर स्वीकृत होगी।

9. आवेदन पत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि:—

दिनांक 30 अक्टूबर 2017 को सांय 5.00 बजे तक निम्नलिखित पते पर व्यक्तिगत जमा करवाया जा सकता है।

रिनायसेन्स बिल्डहोम प्रा. लि.
6-डी, कॉर्पोरेट टॉवर ए-2, जवाहर सर्किल के पास,
जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर - 302017

10. आवंटन का परिणाम

- सफल आवेदकों के चयन हेतु लॉटरी दिनांक 15 नवम्बर, 2017 को तत्समय उपस्थित आवेदकों के समक्ष निकाली जावेगी।
 - सफल आवंटियों को आवंटन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे तथा ब्लॉक का परिणाम देखने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी। सफल आवेदकों की सूची कार्यालय/प्रोजेक्ट स्थल के मुख्य सूचना पटल एवं वेबसाइट एवं भी देखी जा सकती है।
 - सफल आवंटन की स्थिति में आवेदक को फ्लैट की कुल कीमत का शेष 10 प्रतिशत अगले 30 दिवस के अंदर पूर्ण दस्तावेजों के साथ जमा कराना होगा अन्यथा उनका आवंटन निरस्त करके पंजीयन शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।
 - असफल आवेदकों की पंजीयन राशि लॉटरी के पश्चात् 45 कार्य दिवस के भीतर बिना किसी ब्याज के बैंक खाते में लौटा दी जाएगी।
- ❖ “सुपर बिल्ट अप एरिया” में कमरों, रसोई, टॉयलेट, और दीवारों का क्षेत्र, बालकनी/बरामदों का 50 प्रतिशत क्षेत्र और मुख्यमंत्री जन आवास योजना, 2015 के प्रावधानों के अधीन अनुमोदित भवन मानचित्रों के अनुसार टॉवर के सामान्य क्षेत्र का आनुपातिक क्षेत्र सम्मिलित है।
 - ❖ “कॉरपेट एरिया” से तात्पर्य, आवासीय ईकाई की बाहरी दीवारों से घिरा हुआ वास्तविक क्षेत्रफल जिस पर कारपेट बिछाया जा सके जिसमें आंतरिक दीवारों का क्षेत्रफल शामिल नहीं है, होगा।

महत्वपूर्ण

विकासकर्ता ने किसी भी व्यक्ति को नकद लेन-देन के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। कृपया किसी से नकद लेन-देन नहीं करें, ऐसे किसी भी लेन-देन के लिए विकासकर्ता उत्तरदायी नहीं होगा।



**CHIEF MINISTER'S
JAN AWAS YOJANA-2015**
With Focus on EWS & LIG Housing
(For Urban Areas of Rajasthan)

विकासकर्ता

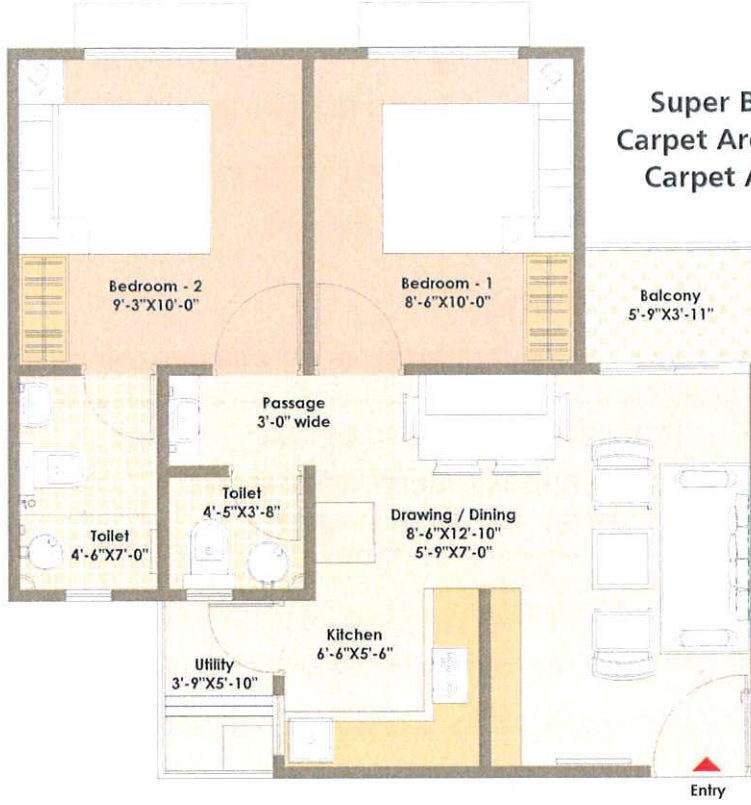
मैसर्स रिनायसेन्स बिल्डहोम प्रा. लि.

CIN No.: U45201RJ2006PTC022456

6-डी, कॉर्पोरेट टॉवर, ए-2, जवाहर सर्किल के पास,

जे. एल. एन. मार्ग, जयपुर - 302017

प्रस्तावित यूनिट प्लान

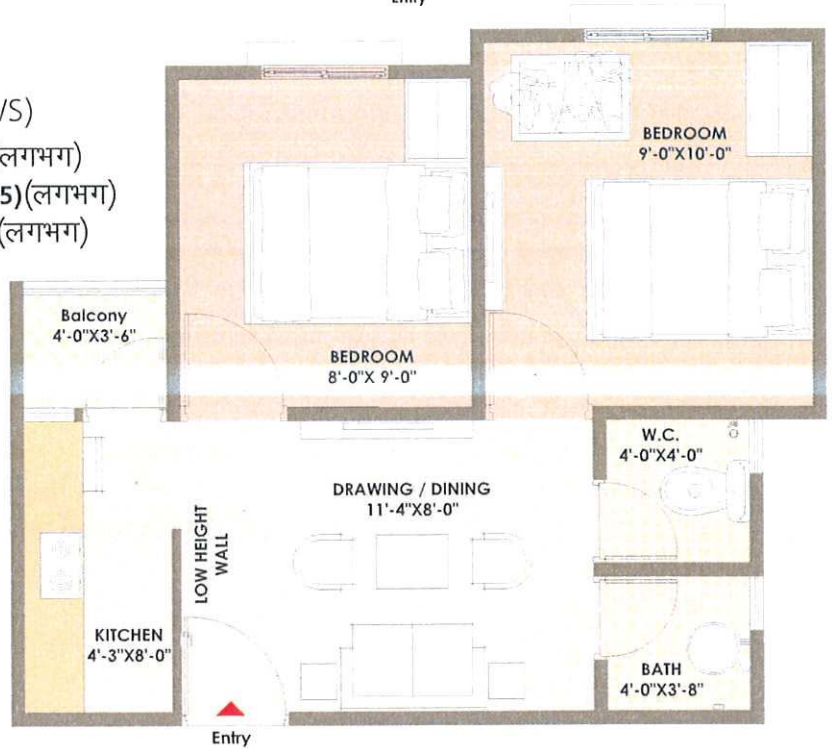


निम्न आय वर्ग (LIG)

Super Built-up Area: 578 sqft (लगभग)
Carpet Area: 426.20 sqft (CMJAY-15)(लगभग)
Carpet Area: 444.65 sqft (RERA)(लगभग)

आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)

Super Built-up Area: 445 sqft (लगभग)
Carpet Area: 320.43 sqft (CMJAY-15)(लगभग)
Carpet Area: 331.52 sqft (RERA)(लगभग)



(नोट:-सुपर बिल्ट अप एरिया में परियोजना मानचित्र व वास्तविक निर्माण में $\pm 2\%$ तक बदलाव होने पर ईकाई की कीमत यथावत् रहेगी।)
{खण्डन:-उपरोक्त युनिट प्लान में दर्शित फर्निचर एवं अन्य वस्तु केवल सांकेतिक है, यह ईकाई का हिस्सा नहीं है।}

समस्त आवेदकों के लिए

(प्रारूप-1)

शपथ पत्र

मैं पुत्र/पत्नी श्री
उम्र जाति निवासी
.....सशपथ बयान करता/करती हूँ कि:-

मेरे पास स्वयं या पति/पत्नी के नाम से किसी भी शहर, नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम, हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास या अन्य सीनीय निकाय द्वारा आवंटित कोई भी भूखण्ड एवं आवास भी किसी वर्ग या श्रेणी का नहीं है।

मुझ पर आश्रित किसी भी व्यस्क अथवा अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/पुत्री के नाम किसी भी शहर, नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम, हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास या अन्य स्थानीय निकाय द्वारा आवंटित कोई भी भूखण्ड एवं आवास भी किसी वर्ग या श्रेणी का नहीं है।

मुझे मेरे पति/पत्नी या मुझ पर आश्रित वयस्क अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/पुत्री का स्थानीय निकाय जैसे नगर विकास न्यास, नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम, हाउसिंग बोर्ड अथवा विकास प्राधिकरणों द्वारा आवंटित आवासीय भूखण्ड लीज होल्ड/फ्री होल्ड पर आवंटित नहीं हुआ है।

शपथ ग्रहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

सत्यनिष्ठा

मैं पुत्र/पत्नी श्री
.. उम्र जाति निवासी
.....सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ

कि:-

उपरोक्त पैरा 1 लगायत 3 में तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य हैं। मैंने कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है।

शपथ ग्रहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

गैर वेतनभोगी समस्त आवेदकों के लिए आय प्रमाण पत्र हेतु शपथ पत्र

(प्रारूप-2)

शपथ पत्र

मैं पुत्र/पत्नी श्री
उम्र जाति निवासी
..... सशपथ बयान करता / करती हूँ:-

- यह कि हमारी वार्षिक आय समस्त स्रोतों से निम्न प्रकार है:-
(अ) स्वयं की आय, व्यापार, उद्योग, एजेन्सी, कृषि उद्योग, दुकान या अन्य स्रोतों से मिलकर कुल रुपये है।
(ब) मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री की व्यापार में भागीदारी उद्योग, एजेन्सी दुकान अथवा कृषि उद्योग अन्य स्रोतों से वार्षिक आय रुपये है।
- यह कि हमारी कुल वार्षिक आय रुपये है।

शपथ ग्रहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

सत्यनिष्ठा

मैं पुत्र/पत्नी श्री सत्यनिष्ठा से घोषणा
करता/करती हूँ कि उपरोक्त पैरा तथ्य जो मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य हैं। मैंने कोई भी
तथ्य छिपाया नहीं है।

शपथ ग्रहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

वेतनभोगी आवेदकों के लिए

(प्रारूप-3)

आय प्रमाण — पत्र

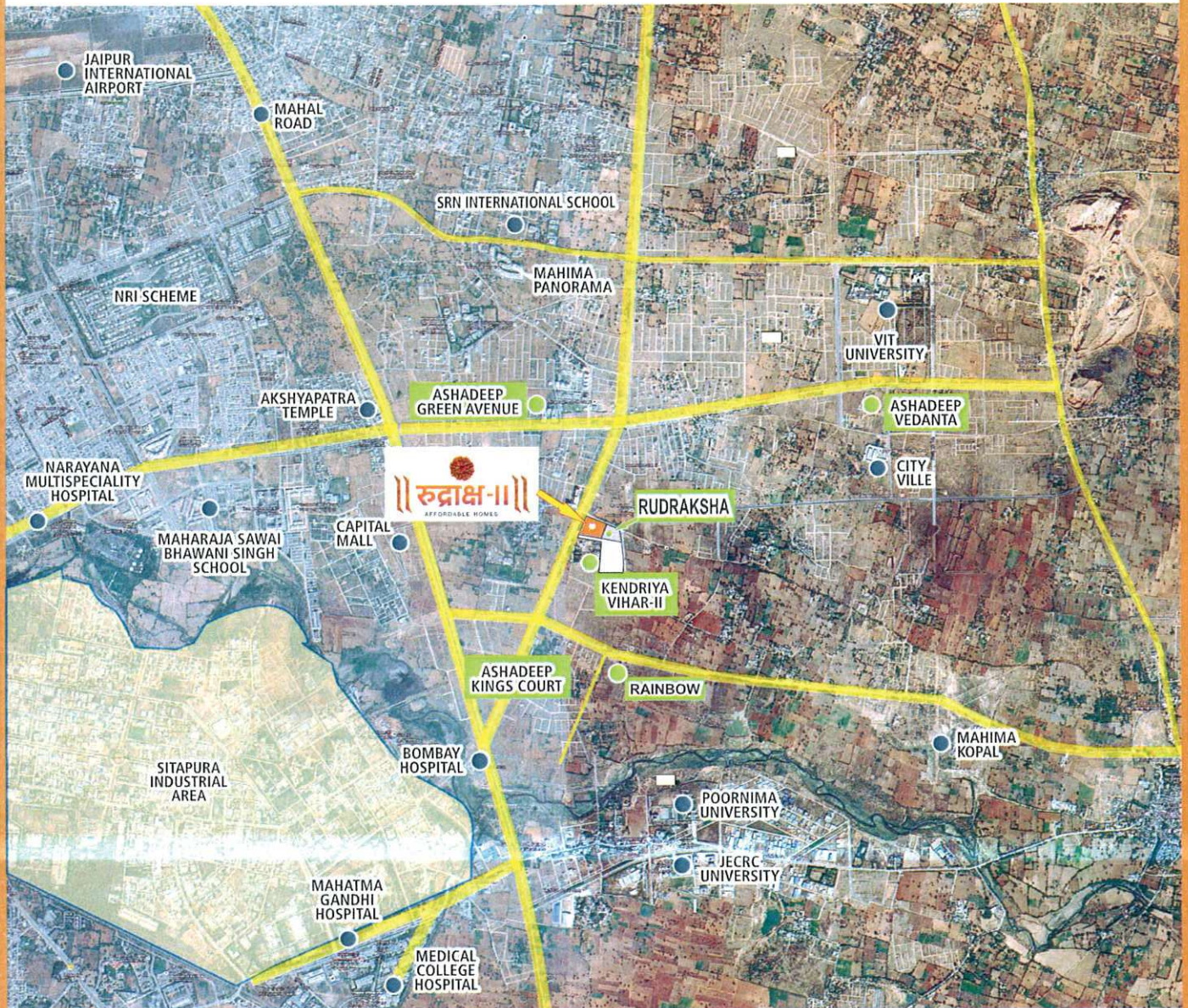
यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
पुत्र/पत्नी श्री इस विभाग में
के पद पर कार्यरत हैं एवं ये केन्द्र/सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम में
नियमित कर्मचारी हैं। इनकी सकल वार्षिक आय रु. है।

एस.डी.ओ./तहसीलदार/नियोक्ता
सत्यापित

2 बीएचके किफायती घर


॥ रुद्राक्ष-॥
AFFORDABLE HOMES

जगतपुरा, जयपुर



प्रोजेक्ट से दूरी

● आशादीप ग्रुप के अन्य प्रोजेक्ट्स

• ग्रीन एवेन्यु	03 मिनट
• केन्द्रीय विहार-II	लगता हुआ
• किंग्स कोर्ट	03 मिनट
• रेनबो	03 मिनट
• वेदान्ता	05 मिनट

● शिक्षा

• पूर्णिमा यूनिवर्सिटी	10 मिनट
• जेईसीआर यूनिवर्सिटी	10 मिनट
• वीआईटी यूनिवर्सिटी	10 मिनट
• महाराजा सवाई भवानी सिंह स्कूल	15 मिनट
• एसआरएन इंटरनेशनल स्कूल	08 मिनट

● हॉस्पिटल

• महात्मा गांधी हॉस्पिटल	10 मिनट
• बॉम्बे हॉस्पिटल	05 मिनट
• नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल	10 मिनट

● अन्य

• अक्षय पात्र मन्दिर	10 मिनट
• जयपुर अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा	15 मिनट
• जगतपुरा रेलवे स्टेशन	15 मिनट



RAJ/P/2022/2207
www.rera.rajasthan.gov.in

For Project Details call: **93528 81000**

Renaissance Buildhome Pvt. Ltd.

Corporate Office: 6-D, Corporate Tower, A-2, Near Jawahar Circle, JLN Marg, Jaipur - 302017

E-mail: info@ashadeepgroup.com **Website:** www.ashadeepgroup.com

Disclaimer: Site Plan, Floor Plans, Layout Plans, Areas, Dimensions, Specifications etc, may change at sole discretion of the developer and / or the architect, till final completion of the project.
Soft Furnishing, Furniture and Gadgets are not part of the offering. All Floor Plans are subject to the approval of Approving Authority.